संवैधानिक उपचार

डॉ. बसन्तीलाल बाबेल, पूर्व न्यायाधीश एवं
शासन उपसचिव, गृह (विधि), राजस्थान सरकार

विधिशास्त्र की एक पुरानी कहावत है – 'जहाँ अधिकार है, वहां उपचार है' (ibi jus ubi remedium) उपचारों के बिना अधिकार निरर्थक है, अर्थहीन है। यही कारण है कि संविधान में उपचारों का एक अध्याय जोड़ा गया है । संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इस अध्याय को संविधान की आत्मा कहा है । न्यायालयों पर नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण का दायित्व अधिरोपित किया गया है, क्योंकि न्यायपालिका मूल अधिकारों की सजग प्रहरी है । 'गवर्न्मेन्ट ऑफ आन्ध्रप्रदेश बनाम श्रीमती पी. लक्ष्मीबाई'[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि न्यायालय नागरिकों के अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रताओं के संरक्षक है, अतः उन्हे उनकी सुरक्षा के उपाय करने चाहिये।

संविधान के अनुछेद 32 एवं 226 में इन्हीं संवैधानिक उपचारों के बारे में प्रावधान किया गया है । इन दोनों अनुच्छेदों में नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की अधिकारिता प्रदान की गई है ।

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण

बन्दी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है – ''निरूद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये''। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को विधि विरूद्धतया निरूद्ध किया गया हो । न्यायालय द्वारा इस रिट के जरिये निरूद्ध करने वाले व्यक्ति से निरूद्ध करने के कारण पूछे जाते हैं, ऐसे निरूद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया जाता है तथा निरोध विधि विरूद्ध पाये जाने पर उसे स्वतंत्र (मुक्त) करने का आदेश दिया जाता है ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए निरूद्ध व्यक्ति अथवा उसकी ओर से उसे मित्र, नातेदार अथवा हितैषी द्वारा आवेदन किया जा सकता है।[2] यह रिट किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरूद्ध भी जारी की जा सकती है बशर्ते कि निरूद्ध व्यक्ति जीवित हो तथा किसी प्राइवेट व्यक्ति की अवैध अभिरक्षा में हो । (रामिकशन पॉल बनाम मध्य प्रदेश राज्य)[3]

2. परमादेश

परमादेश का शाब्दिक अर्थ है – 'हम आदेश देते है' । परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब सरकार, निगम, लोक प्राधिकारी आदि के द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन (निर्वहन) नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा इस रिट के जरिये वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन का आदेश दिया जाता है ।

---

1. ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1640
2. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1675)
3. ए.आई.आर. 2007 एन.ओ.सी. 379 मध्य प्रदेश

परमादेश रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब किसी लोक प्रकृति के वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया जा रहा हो । (जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम गुलाम मोहम्मद दर)[4]

डॉ. गुलशन प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा[5] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि संविधान का अनुच्छेद 15(4) समर्थकारी प्रावधान है। राज्यों के आरक्षण के लिये निर्देश देने हेतु परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती ।

3. प्रतिषेध

यह एक न्यायिक प्रकृति की रिट है जो अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता को नियंत्रित करती है । यह रिट तब जारी की जाती है, जब कोई न्यायालय -

(क) अपनी अधिकारिता से परे कार्य कर रहा हो, अथवा

(ख) अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं कर रहा हो, अथवा

(ग) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं कर रहा हो ।

इस प्रकार इस रिट के जरिये अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपनी अधिकारिता का प्रयोग करे तथा अधिकारिता से बाहर नहीं जायें । (एस. गोविन्द मेनन बनाम भारत संघ)[6]

4. उत्प्रेषण

यह रिट भी एक तरह से न्यायिक प्रकृति की ही है । यह रिट तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता से परे कार्य किया गया हो अथवा अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया गया हो और अभिलेख पर स्पष्ट रूप से कोई त्रुटि प्रतीत होती हो । इस रिट के जरिये अधीनस्थ न्यायालयों की त्रुटियों को दूर किया जाता है । यह न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध भी जारी की जा सकती है । (मोहनलाल बनाम लालचन्द)[7]

यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रिटें एक जैसी लगती हैं, तथापि इन दोनों में अन्तर है । प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मामले की सुनवाई प्रारम्भ कर दी जाती है जिसकी सुनवाई करने की उसे अधिकारिता ही नहीं है । इस रिट के जरिये ऐसी सुनवाई को रोका जाता है । जबकि उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा विनिश्चय दे दिया जाता है और ऐसे निर्णय को अधिकारिता विहीन पाये जाने पर उसे रद्द करने का आदेश दिया जाता है । (हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक)[8]

5. अधिकार –पृच्छा

अधिकार-पृच्छा रिट का शाब्दिक अर्थ है – "आपका अधिकार क्या है ?'' यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किये हुए होता है । इस रिट के जरिये ऐसे व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण किये जाने से रोका जाता है । न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति से यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से पद को धारण किये हुए है ।

---

4. ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 510.
5. ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 288.
6. ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 1274.
7. ए.आई.आर. 2001 राजस्थान 87.

उदाहरणार्थ एक प्रधान के पद को ऐसा व्यक्ति धारण कर लेता है जो किसी अपराध में लिप्त रहा है तथा नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व ही उसके विरूद्ध प्रसंज्ञान ले लिया गया है । प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होते हुए भी उसने चुनाव लड़ लिया और वह प्रधान बन गया । न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध अधिकार – पृच्छा रिट जारी की गई । (हरपाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य)[9]

जार्ज जोसफ बनाम एस. चन्द्रमोहन नय्यर[10] के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि के प्रतिकूल लोक पद पर नियुक्ति के मामले में अधिकार पृच्छा रिट जारी की जा सकती है ।

इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अन्तर्गत नागरिकों को उपरोक्त पांच महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचार उपलब्ध है । अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा एवं अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों द्वारा रिटें जारी की जा सकती है । इन दोनों में अन्तर केवल इतना ही है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रिट जारी की जा सकती है, जबकि उच्च न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी की जा सकती है ।

श्रीमती पूनम बनाम सुमित तंवर[11] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी की जा सकती है जबकि उच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के साथ-साथ अन्य विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये भी रिट जारी की जा सकती है ।

इस प्रकार संविधान के लागू होने के पश्चात् संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है । आज संवैधानिक उपचारों के कारण नागरिकों के अधिकार सुरक्षित है और संविधान एक सुरक्षा प्रहरी का कार्य कर रहा है ।

---

8. ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 233.
9. ए.आई.आर.2008 एन.ओ.सी.1026 राजस्थान.
10 ए.आई.आर. 2010 केरल 68.
11. ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1384